

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कमल डिबोर

बनाम

सरकार

मु०न०-

64/2025

किस्म मुकदमा-136 एल.आर.ए.

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म
की तामील
में जारी हुए

28/07/25

प्रकरण जरिए तहसीलदार सिकराय द्वारा इस
आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आराजी खता
संख्या/खसरा संख्या 117, 138, 105, 57, 58,
30, 24, 23 वाके ग्राम डुण्डा

में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड
जमाबंदी में कमल

दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम

कमल डिबोर

है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि
की जावे। तहसीलदार द्वारा पेश प्रकरण के अवलोकन तथा रिपोर्ट
पटवारी हल्का एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी

का नाम कमल

के स्थान पर सही नाम

कमल डिबोर

दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते हैं।

तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

